27/1/23

10/3/23 अधिवक्तागण हड़ताल में होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 13/4/23 को पेश हो।

13/4/23 पत्रावली पेश हुई वादी वकील उप०। स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी तारीख तक बढ़ाई जाकर आईन्दा दिनांक 18/4/23 को पेश हो।

18/4/23 दिनांक 18/4/23 को मंत्रालयिक कर्मचारी हड़ताल में होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 22/6/23 को पेश हो।

22/06/23 पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आ... दिनांक 27/06/23 को पेश हो...

27/6/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। चूंकि मूल आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 RLR एवं फैसल हो चुका है। इसलिए इस आवेदन में आगे की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली में आगे की कार्यवाही को इसी स्तर पर रोका जाकर कार्यवाही समाप्त की जाती है। स्थगन आदेश को खारिज किया जाकर पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

.124

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली तलब करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली को आज पेशी तारीख पर ली जावे। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व आवेदन संख्या 364/2022 को फैसल करने बाबत पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर साथ में एक राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 91 रा.भू. राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत करके मौजा लकड़ासर तहसील सेड़वा के खसरा संख्या 150 में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की लेकिन राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम दिनांक 27/06/2023 को फैसल हो गई लेकिन इसी प्रार्थना पत्र के साथ पेश राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम भूलवश फैसल नहीं हो सका इसलिए राजस्व आवेदन संख्या 364/2022 को फैसल किये जाने का आदेश फरमावें।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 RLR एक्ट दिनांक 27/06/2023 को फैसल हो जाने के फलस्वरूप पूर्व पीठासीन अधिकारी मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम को भूलवश फैसल नहीं कर पाये। मूल आवेदन फैसल हो जाने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम आवेदन संख्या 364/2022 भगवान ईशरा कौरा बनाम ओखा कौरा में दिनांक 09/11/2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज की जाकर पत्रावली में कार्यवाही को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सरवा हो एक कम हो।

[signature]